पत्र संख्या-आई0टी0-हार्डवेयर अनुरक्षण/ 2010-2011/ 1004 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(आई0टी0 - अनुभाग)
दिनांक::::लखनऊ::::फरवरी, 22, 2011

**समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर/**
**ज्वाइंट कमिश्नर(कार्यपालक)**
**वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**

---

विभाग द्वारा कम्प्यूटरीकरण की कार्यवाही के अन्तर्गत विगत वर्षो में जो कम्प्यूटर हार्डवेयर / उपकरण क्रय किए गये हैं उनका अनुरक्षण वारंटी अवधि समाप्त होने के उपरान्त स्थानीय स्तर पर कराये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1352 दिनॉक 05.0309, पत्रांक 699 दिनॉक 24.09.09, पत्रांक 737 दिनॉक 05.10.09 एवं पत्रांक 537 दिनॉक 31.08.10 द्वारा निर्देश जारी किये गये थे परन्तु कतिपय कार्यालयों द्वारा कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरणों को ठीक कराने का अनुरोध अभी भी मुख्यालय से किया जा रहा है जो उचित नही है।

2- वित्तीय वर्ष 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 में यू0पी0एल0सी0 द्वारा विभाग की विभिन्न लोकेशन पर आपूर्तित नये उपकरणों जिनकी वारण्टी अवधि अनुबन्ध के अनुसार स्थापना की तिथि से मानी गयी है का विवरण निम्न प्रकार है:-

| क्रम सं0 | उपकरण का नाम | वारण्टी अवधि (स्थापना की तिथि से) |
|---|---|---|
| 1 | एच0पी0 डेस्क टाप | 03 वर्ष |
| 2 | लेनेवो डेस्क टाप | 03 वर्ष |
| 3 | यू0पी0एस0 | 01 वर्ष |
| 4 | लेजर प्रिन्टर | 01 वर्ष |
| 5 | सर्वर | 03 वर्ष |
| 6 | ए0पी0सी0 यू0पी0एस0(सर्वर के साथ) | 03 वर्ष (बैटरी बैंक 01 वर्ष) |
| 7 | स्कैनर | 01 वर्ष |
| 8 | बायोमैट्रिक डिवाईस | 02 वर्ष |
| 9 | वेब कैमरा | 02 वर्ष |
| 10 | डिजीटल कैमरा | 01 वर्ष |
| 11 | लैपटाप | 03 वर्ष |
| 12 | 1 जी0बी0 रैम | 01 वर्ष |
| 13 | एण्टी वायरस | 03 वर्ष |
| 14 | जेनरेटर | 01 वर्ष |

3- अत: इस सम्बन्ध में पुन: निर्देश दिये जाते है कि विभाग के 93 लोकेशन पर स्थापित आई0बी0एम0 सर्वर एवं उसके यू0पी0एस0 को छोड़कर शेष समस्त कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरणों का

अनुरक्षण समस्त कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अपनी वित्तीय सीमा के अन्दर रहते हुए स्थानीय स्तर पर कराया जाय। अधिकृत वित्तीय सीमा से अधिक का व्यय होने की स्थिति में ही अनुरक्षण हेतु प्रकरण मुख्यालय प्रेषित किया जाये तथा ऐसे मामलों को छोड़कर अन्य मामलों में मुख्यालय से अनावश्यक पत्राचार न किया जाय।

4- इस सम्बन्ध में ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) जिन्हें मुख्यालय के पत्रांक 592 दिनॉक 21-09-2010 द्वारा कम्प्यूटरीकरण के कार्यो हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया है तथा समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर का भी दायित्व होगा कि वह अपने सम्भाग/जोन के कार्यालयों का नियमित रूप से पर्यवेक्षण करते हुए यह सुनिश्चित करें कि कार्यालयों में स्थापित समस्त कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरणं सही तरीके से कार्य कर रहें है।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किये जाने हेतु अपने स्तर से अधीनस्थ अधिकारियों को भी निर्देशित करने का कष्ट करें।

(चन्द्रभानु)
कमिश्नर, वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ